

राजस्थान सरकार  
सामान्य प्रशासन(ग्रुप-2)विभाग

क्रमांक :—प.3(1)साप्र/2/2021

जयपुर, दिनांक : 21/6/2022

—: आदेश :—

श्रीमती अमिता, सहायक अभियंता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर जिनकी तृतीय श्रेणी की वरीयता संख्या 38 ए/2021 व सेवानिवृत्ति दिनांक 31.07.2042 है। श्रीमती अमिता के पति श्री प्रतीक झांझडिया आई.पो.एस., को इस विभाग के आदेश क्रमांक प.2(1)साप्र/2/19 दिनांक 16.05.2020 द्वारा तृतीय श्रेणी राजकीय आवास संख्या ई-24, गांधीनगर, जयपुर आवंटित किया गया था। श्री प्रतीक झांझडिया की प्रार्थना पर राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 10(ix) के अन्तर्गत उक्त तृतीय श्रेणी राजकीय आवास संख्या ई-24, गांधीनगर, जयपुर का इनकी पत्नी श्रीमती अमिता, सहायक अभियन्ता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग जयपुर को नियमानुसार कियाये पर उनके निवास हेतु निम्न शर्तों के आधार पर एतद्वारा आवंटन किया जाता है:—

शर्त :-

1. आवास का कब्जा आवंटन/रिक्त की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
2. उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
3. सेवानिवृत्ति पश्चात आवास रिक्त करना होगा 10।
4. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
5. स्वयं तथा पत्नी/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने/क्रय करने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
6. सञ्चालित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी—चूंकि उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(ग)ए के अनुसरण में आदेश प्रसारित होने के आवास रिक्त की तिथि से 8 दिवस में अथवा आवंटन स्वीकार करने के असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान कियाया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
7. आवंटी को आवंटित राजकीय आवास का कब्जा देने से पूर्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता को यह घोषणा करनी होगी:—
  1. आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे हैं।
  2. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा स्वयं/पति/पत्नी व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम से जयपुर में कोई निजी आवास निर्मित/क्रय नहीं किया है।
8. उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्तें भी मान्य होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

  
(श्रीमती किशनानी)  
विशिष्ट शासन सचिव

**प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-**

1. जिला कलेक्टर, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, साप्रवि।
3. संयुक्त सचिव (जीबी), मुख्यमंत्री कार्यालय को उनकी आई.डी. क्रमांक एफ22000509 दिनांक 11.02.2022 के क्रम में सूचनार्थ।
4. अधीक्षण अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास कियाया कठौती सुनिश्चित करावे।
5. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की तिथि से कियाया वसूली कर राजकोष में जमा कराने को सुनिश्चित करावे।
6. मुख्य लेखाधिकारी, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-4) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
7. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, जयपुर शहर, जयपुर।
8. प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर-कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेब साईट पर अपडेट करने का श्रम करावे।
9. अधिशासी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर खण्ड-तृतीय (मुख्यालय), जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि इस आवण्टन पत्र के पीछे दिये गये प्रपत्र की आवश्यक पूर्ति करने के पश्चात ही आवण्टन की कार्यवाही सुनिश्चित करावे।
10. अधिशासी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग चौकी, गांधीनगर, जयपुर-कृपया उक्त आदेश को कार्यालय ब्लैकबोर्ड पर चम्पा करावे साथ ही आवंटी के द्वारा कब्जा लेने/रिक्त दिनांक की सूचना निदेशक सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय जयपुर को भी भिजवाये।
11. श्री प्रतीक झांझडिया आई.पो.एस ई-24 गांधीनगर जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
12. श्रीमती अमिता सहायक अभियन्ता अभियांत्रिकी विभाग जयपुर प्रेषित कर लेख है कि कब्जा लेने से पूर्व इस आवण्टन पत्र के पीछे दिये गये प्रपत्र की अपने स्तर पर आवश्यक पूर्ति कर अधिशासी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर खण्ड-तृतीय, जयपुर को सम्भलवाने के पश्चात ही कब्जा प्राप्त करेंगे एवं पूर्व आवंटित राजकीय आवास निर्धारित अवधि में नियमानुसार रिक्त कर विभाग को सूचित करेंगे।
13. रक्षित पत्रावली।

  
विशिष्ट शासन सचिव

आवास का कब्जा लेते समय प्रस्तुत करेंगे। संबंधित सहायक अभियन्ता द्वारा आवंटी से प्राप्त उक्त प्रपत्र अनुसार आवंटन हेतु पात्र होने पर ही कब्जा प्रदान किया जावेगा तथा आवंटन आदेश जारी होने के 15 दिवस में कब्जे की रिपोर्ट के साथ प्रपत्र आवश्यक रूप से सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग को भिजवाना सुनिश्चित करावेगे।

प्रपत्र में असत्य सूचनाओं के आधार पर आवंटन निरस्त किया जा सकता है तथा कब्जे की तिथि से प्रचलित बाजार किराया दर वसूलनीय होगा।

#### प्रपत्र

1.	नाम अधिकारी/कर्मचारी	
2.	पिता/पति नाम	
3.	वर्तमान पद एवं पदस्थान विवरण	
4.	वैवाहिक स्थिति	
5.	जन्म दिनांक	
6.	सेवानिवृत्ति दिनांक	
7.	ईम्पलॉयी आई.डी. (Employee ID)	
8.	आधार नंबर	
9.	मोबाइल नंबर	
10.	ई-मेल आई.डी.	
11.	वर्तमान पता	
12.	स्थायी पता	
13.	नियुक्तिकर्ता विभाग	
14.	पदस्थापन दिनांक	
15.	डी.डी.ओ. कोड एवं नाम	
16.	पे-मेट्रिक्स लेवल	
17.	ग्रेड पे एवं बेसिक पे	
18.	Service Type (State/Ministrial/Subordinate etc.)	
19.	Employee Status (Probationer/ Permanent etc.)	
20.	जयपुर शहर में राजकीय आवास हेतु जयपुर शहर में निरन्तर रूप से पदस्थापित है? जयपुर में आवास हेतु आवदेन किया जाने के पश्चात् लगातार जयपुर में ही पदस्थापित रहे हैं। इस माध्य में स्वयं का जयपुर से बाहर स्थानान्तरण एवं पदस्थापन नहीं हुआ है।	
21.	आवंटी का जयपुर शहर में कोई स्वयं/पत्नि व उन पर आश्रित किसी सदस्य के नाम निजी आवास नहीं है।	

आवेदक के हस्ताक्षर मय मोबाइल नम्बर

विभागाध्यक्ष /आहरण वितरण अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर